उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-162/2018/2917/92-2-2018-10(जांच)/2016,

लखनऊ :: दिनांक:: 15 नवम्बर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-चित्रकूट में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत ग्राम कोपा, विकास खण्ड-मऊ (चित्रकूट) में के0सी0 ड्रेन व सी0सी0 रोड के निर्माण कार्यों में की गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-चित्रकूट की जांच आख्या दिनांक 06.09.2016 के अनुसार रू0 2,56,333.00 की शासकीय क्षति हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-11/2017/2160/92-2-2017-10(जांच)/2016, दिनांक 04.01.2017 द्वारा श्री एन0के0 त्रिपाठी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित कर निलम्बन अवधि में कायार्लय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रा0अभि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध किया गया। अपचारी अधिकारी, श्री एन0के0 त्रिपाठी अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करके दिनांक 28.02.2017 को सेवानिवृत्त हो गये। तद्क्रम में अपचारी अधिकारी श्री त्रिपाठी के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.01.2017 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-52।2017/03मं0आ0/92-2-2017-10(जांच)/2016, दिनांक 19.04.2017 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किया गया।

2- शासन के पत्र संख्या-128/92-2-2017-10(जांच)/2016, दिनांक 31.01.2017 द्वारा श्री एन0के0 त्रिपाठी के विरूद्ध अनुमोदित आरोप पत्र निर्गत करते हुए जांच अधिकारी से नियमानुसार जांच कर जांच आख्या निर्धारित समयवाधि में उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। जांच अधिकारी/मुख्य अभियन्ता(पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 24.04.2017 द्वारा जांच आख्या शासन मे उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी की जांच आख्या में प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 29.05.2017 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन/अभिकथन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 30.06.2017 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, जांच आख्या मे प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी श्री एन0के0 त्रिपाठी के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में आरोप संख्या-1 तथा आरोप संख्या-3 आंशिक रूप से स्थापित पाया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

गया। श्री त्रिपाठी जो दिनांक 28.02.2017 को सेवानिवृत्त हो गये थे, के विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में किसी प्रकार का प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का कोई अवसर नहीं रह गया, किन्तु प्रश्नगत प्रकरण में परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 2,56,333.00 में से अपचारी अधिकारी के अंश रू0 15,180.00 की वसूली श्री एन0के0 त्रिपाठी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट सम्प्रति सेवानिवृत्त के सेवानैवृत्तिक देयकों यथा-पेंशन/ग्रेच्युटी से किये जाने का अनन्तिम दण्ड विनिश्चिय किया गया। तत्पश्चात अपचारी अधिकारी श्री त्रिपाठी के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में शासन द्वारा विनिश्चित अनन्तिम दण्ड पर शासन के पत्र दिनांक 16.08.2017 द्वारा मा0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद से सहमति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। तद्क्रम मे मा0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद ने अपने पत्र दिनांक 21.11.2017 द्वारा शासन के प्रस्तावित अनन्तिम दण्ड शासकीय क्षति रू0 15,180.00 (रूपये पन्द्रह हजार एक सौ अस्सी) की वसूली उनके सेवानैवृत्तिक देयकों यथा-पेंशन/ग्रेच्युटी से किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी, जिसके अनुक्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-217/2017/3162/92-2-17-10(जांच)/2016, दिनांक 18.12.2017 द्वारा श्री एन0के0 त्रिपाठी के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक जांच में निम्नवत दण्ड देते हुए अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त कर दी गयी:-

"शासकीय क्षति रू0 15,180.00 (रूपये पन्द्रह हजार एक सौ अस्सी) की वसूली उनके सेवानैवृत्तिक देयकों यथा-पेंशन/ग्रेच्युटी से की जाय।"

4- शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18.12.2017 द्वारा श्री एन0के0 त्रिपाठी के विरूद्ध पारित दण्डादेश के पश्चात निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 12.02.2018 तथा श्री एन0के0 त्रिपाठी के दिनांक रहित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 15,180.00 (रूपये पन्द्रह हजार एक सौ अस्सी) जो भारतीय स्टेट बैंक कर्वी जनपद चित्रकूट में चालान के माध्यम से राजकोष में दिनांक 16.11.2017 को जमा कर दी गयी है।

5- प्रश्नगत प्रकरण में श्री एन0के0 त्रिपाठी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट सम्प्रति सेवानिवृत्त के निलम्बन अवधि दिनांक 04.01.2017 से दिनांक 28.02.2017 तक के अवशेष वेतन/भत्तों के संबंध में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग-2(4) के अंतर्गत प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक 22.03.2018 पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा उनके निलम्बन अवधि दिनांक 04.01.2017 से दिनांक 28.02.2017 तक के अवशेष वेतन/भत्तों का भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतएव श्री एन0के0 त्रिपाठी के उक्त निलम्बन अवधि को उनकी कर्तव्यार्थ सेवा मे व्यतीत की गयी अवधि मानी जायेगी।

अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से,

वी0 के0 सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-162/2018/2917(1)/92-2-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- श्री एन0के0 त्रिपाठी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।